न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 175/2008 (बांसवाड़ा डिक्री)

शरीफ मोहम्मद पुत्र श्री शेर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ताम्बेसरा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. डॉ राजेन्द्र बाबू पिता कन्हैयालाल अग्रवाल, निवासी किरण हॉस्पिटल, गोविन्द नगर अग्रवाल सोसायटी, दाहोद, पंचमहल (गुजरात)
2. कन्हैयालाल पिता मोतीलाल जी कलाल (मृतक) के बजाय :–

2/1. शंकरलाल पिता जुथालाल, निवासी कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. जमनालाल पिता मोतीलाल जी कलाल (मृतक) के बजाय :–

3/1. विद्या देवी पत्नी स्वर्गीय जमनालाल जी कलाल, निवासी ताम्बेसरा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/2. प्रवीण कुमार पुत्र स्वर्गीय जमनालाल जी कलाल, निवासी ताम्बेसरा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/3. नवीन कुमार पुत्र स्वर्गीय जमनालाल जी कलाल, निवासी ताम्बेसरा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4. ईश्वरलाल पिता मोतीलाल जी कलाल, निवासी ताम्बेसरा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. मणीलाल पिता शंकरलाल जी कलाल, निवासी ताम्बेसरा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. रईस मोहम्मद पिता रसुल खां, जाति मुसलमान, निवासी ताम्बेसरा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. गुलाम मोहम्मद पिता रमजान खां, जाति मुसलमान, निवासी ताम्बेसरा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. दाद मोहम्मद पिता रमजान खां, जाति मुसलमान, निवासी ताम्बेसरा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. जमील मोहम्मद पिता रमजान खां (मृतक) के बजाय :–

9/1. शमीम पत्नी बादर खां पुत्री जमील मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाड़ा (राज.)

10. लाल मोहम्मद पिता रमजान खां, जाति मुसलमान, निवासी ताम्बेसरा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

11. खलील मोहम्मद पिता रमजान खां, जाति मुसलमान, निवासी ताम्बेसरा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

12. भूमिधारी तहसीलदार, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़
दिनांक 31.03.2008, प्र. सं. 37/2004

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री भगवतपुरी अभिभाषक रेस्पो. 2 से 5
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12

———::———

निर्णय दिनांक 28–03–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 11 के खातेदारी व कब्जे काश्त के खसरा नंबर 92, 94 व 102 कुल किता 3 रकबा 2.18 हैक्टर भूमि ग्राम ताम्बेसरा में स्थित है, जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 11 अपने बाप–दादाओं के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है न ही उनका कब्जा है। उक्त भूमियां पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 11 के दादा कालू खां पिता मुराद खां के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी, जिनकी मृत्यु के बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 11 के पिता शेर मोहम्मद, रसुल खां, रमजान खां के खाते दर्ज हुई। जिसमें से खसरा नंबर 92 रकबा 0.09 हैक्टर कन्हैयालाल पिता भूरालाल अग्रवाल व मोतीलाल पिता नवल जी के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 15–12–1968 को, खसरा नंबर 94/2 रकबा 0.69 हैक्टर जरिये

नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 15–12–1968 व खसरा नंबर 102 रकबा 0.68 हैक्टर मोतीलाल पिता नवल जी के नाम दर्ज होना बताया, जबकि उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही बिना विधिक आदेश व खातेदारान को सुने बिना खोला गया। उक्त नामान्तरकरण में खातेदार शेर मोहम्मद द्वारा विक्रय किया जाना बताया है, जबकि बिना विभाजन व अन्य खातेदारान की सहमति के शेर मोहम्मद व अन्य खातेदारान को उक्त पैत्रृक भूमि बेचने का अधिकार ही नहीं था व ऐसा कोई बेचान भी नहीं हुआ है, जिससे उक्त नामान्तरकरण की समस्त कार्यवाही अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जो खाता अपने नाम करवाया है वह निरस्त योग्य है, क्योंकि मौके पर आज भी कब्जा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 11 का है। जमाबन्दी संवत 2028 से आज तक खसरा नंबर 92 रकबा 0.13 हैक्टर व खसरा नंबर 94 रकबा 1.37 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 11 के नाम दर्ज होना यह दर्शाता है कि मौके पर कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कब्जा नहीं रहा है, जिस कारण आगे की जमाबन्दी में उनके नाम का इन्द्राज नहीं हुआ है व पूर्व में जो राजस्व कर्मचारियों से मिलकर खाते में नाम दर्ज करवाया थे वह जमाबन्दी संख्या 2028 से आज तक में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम इन्द्राज नहीं किये गये, जिस संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराना भी उनके दुराशय को प्रकट करता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 आये दिन विवाद करते हैं तथा कहते हैं कि खसरा नंबर 92/1 रकबा 0.09 हैक्टर, 94/2 रकबा 0.68 हैक्टर एवं 102 रकबा 0.68 हैक्टर मेरे पिता ने क्रय किये हैं, जिसे हम लेकर रहेंगे, जबकि उक्त खसरा नंबरान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 11 की पैत्रृक होकर कालू खां के खाते की थी, जिसे शेर मोहम्मद अकेले को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पक्ष में की गयी समस्त कार्यवाही कानूनन बेअसर होकर शून्य है। अतएवं खसरा नंबर 92/1 रकबा 0.09 हैक्टर, 94/2 रकबा 0.68 हैक्टर एवं 102 रकबा 0.68 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा विक्रय पत्रों को विधि विरूद्ध माना जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3, 6, 7 व 8 ने अधिवक्ता के हस्ताक्षर शुदा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मूल खातेदार कालू खां ने अपने जीवनकाल में अपने तीन पुत्रों रसूल खां,

रमजान खां व शेर मोहम्मद को बक्शीश कर विभाजन कर दिया था तथा बक्शीश के मुताबिक उनके तीनों पुत्र अपने–अपने हक हिस्से के मालिक होकर शेर मोहम्मद द्वारा वादग्रस्त खसरा नंबर 102 का पूरा खेत शेर मोहम्मद के हिस्से में बक्शीश से आने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता मोतीलाल को दिनांक 15–06–1968 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया, तब से मोतीलाल व उनके मरने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 से 4 काबिज चले आ रहे हैं। उक्त खेत का विक्रय सहखातेदार रसूल खां व रमजान खां की सहमति से किया गया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विधिवत नामान्तरकरण किये गये हैं। इसी प्रकार सर्वे नंबर 92 भी शेर मोहम्मद हिस्से में हिबा कालू खां द्वारा कर दिया गया था, जिससे शेर मोहम्मद उक्त खेत का एक मात्र मालिक होकर विक्रय सहखातेदार रसूल खां व रमजान खां की सहमति से शेर मोहम्मद द्वारा निस्फ हिस्सा 0.09 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता मोतीलाल व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता कन्हैयालाल को शामलाती में दिनांक 15–06–1968 को रजिस्टर्ड विक्रय से कर कब्जा सिपुर्द किया गया है। तब से आज दिनांक तक मोतीलाल व कन्हैयालाल मालिक काबिज होकर काश्त करते थे एवं उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मालिक काबिज हैं। कालू खां के जीवनकाल में वादी का जन्म ही नहीं हुआ था तथा वादी की उम्र मात्र 25 साल से अधिक नहीं है, जबकि कालू खां वर्ष 1968 में ही मर चुका था एवं जरिये नामान्तरकरण उक्त भूमियां कालू खां के पुत्रों के नाम नामान्तरित हो चुकी थी तथा कालू खां द्वारा की गयी बक्शीश अनुसार तीनों पुत्र अपने हिस्से में आयी भूमि के मालिक काबिज थे। अतएवं वादी के पैत्रृक उत्तराधिकार का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वाद मियाद बाहर है तथा प्रतिवादीगण 38 वर्षो से अपने पिता के जीवनकाल से काबिज चले आ रहे हैं। वादी गांव ताम्बेसरा का निवासी नहीं होकर बांसवाड़ा में निवास करता है तथा उसने कभी भी वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार की कोई खेती नहीं की है। धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आधार पर भी वादी के खातेदारी हक समाप्त होकर प्रतिवादीगण में निहित हो चुके हैं। मात्र प्रतिवादीगण को ब्लैक मेल करने की व पैसे ऐठने की दृष्टि से वादी ने झूठा वाद पेश किया है। खातेदार मोतीलाल की तीन पुत्रियों हैं, जिन्हें भी वादी ने

पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे भी आवश्यक पक्षकार के अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। अतएवं वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा भी इसी प्रकार के खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 7 तनकियात कायम की गयी :–

1. क्या मौजा ताम्बेसरा की भूमि सर्वे नंबर 92, 94, 102 कुल खेत 3 रकबा 2.18 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 11 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है ? ..... वादी
2. क्या प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कोई हक निहित नहीं है ? ..... वादी
3. क्या नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 15–12–1969, नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 15–12–1969 खोले गये हैं वे अवैधानिक होकर काबिज खारिजी हैं ? ..... वादी
4. क्या मूल खातेदार कालू खां ने अपने जीवनकाल में अपने तीन पुत्रों को बक्शीश कर विभाजन कर दिया था, बक्शीश के मुताबिक सर्वे नंबर 102 का पूरा खेत शेर मोहम्मद के हिस्से में आने से उसने प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता को दिनांक 15–06–1968 में विक्रय रजिस्टर्ड बेचान किया ? ..... प्रतिवादी
5. क्या सर्वे नंबर 92 भी शेर मोहम्मद के हिस्से में हिबा कालू खां द्वारा दिया या था जिससे शेर मोहम्मद उक्त भूमि का एक मात्र खातेदार था ? ..... प्रतिवादी
6. क्या कालू खां के बक्शीश के मुताबिक रसूल खां व रमजान खां द्वारा अपने हक व हिस्से का खेत सर्वे नंबर 94 प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दिया था ..... प्रतिवादी संख्या 5
7. दादरसी ?

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 31–03–2008 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर

अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16–05–2008 को पेश की की गयी है।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतपुरी ने अपना वकालत पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 6 से 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से औपचारिक पक्षकार पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया है। तनकी नंबर 1 जिसे सिद्ध करने का भार वादी पर था, वादी ने इस हेतु जो साक्ष्य प्रस्तुत की है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनका विवेचन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जमाबन्दी संवत् 2024 से 2027 में खसरा नंबर 92, 94 व 102 कालू खां पुत्र मुराद खां दर्ज है व उसकी मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 17 से रसूल खां, रमजान खां व शेर मोहम्मद के नाम खाता दर्ज हुआ है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 व 4 में भी कालू खां की काश्त दर्ज है जो संवत 2027 तक की है। प्रदर्श 7 नामान्तरकरण संख्या 18, प्रदर्श 8 नामान्तरकरण संख्या 22 तथा प्रदर्श 9 नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 29–05–2003 का पृष्ठांकन रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की मेलाफाईड इन्टेन्शन को सिद्ध करता है, क्योंकि रजिस्ट्री दिनांक 29–08–1968 का हवाला इतने लम्बे अन्तराल बाद नामान्तरकरण करना। रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण ने आज तक कभी भी कब्जा प्राप्त नहीं किया है। जिन नामान्तरकरणों को वादी ने चैलेन्ज किया है वे अवैध होकर काबिज निरस्ती के हैं। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 प्रदर्श 11, संवत 2035 से 2038 प्रदर्श 14, संवत 2052 प्रदर्श 16 में खसरा नंबर 92 व 94

वादी के नाम दर्ज है एवं जमाबन्दी संवत 2056 से 59 प्रदर्श 17 में दिनांक 15–12–1979 नामान्तरकरण का अमल दरामद दिनांक 27–01–2001 को हुआ है जो अवैध है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, जिरह में भी वादी/अपीलान्ट ने अपना कब्जा ही बताया है। सर्वे नंबर 92 आंशिक आबादी में है, जिसमें मकान बने हुए हैं। वादग्रस्त भूमि पर जमनालाल, कन्हैयालाल वगैरह के मकान बने होने का कथन गलत है। अपीलान्ट/वादी ने तनकी नंबर 1 को पूर्ण रूप से सिद्ध कराया है, फिर भी अधिनस्थ अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का निर्णय वादी/अपीलान्ट के विरूद्ध किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनने किया गया तो यह पाया कि वादी/अपीलान्ट अपना वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उसके दादा कालू खां की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्रों की उक्त शामलाती भूमि थी, इसलिए उसके पिता द्वारा किया गया विक्रय अवैध है, जिससे रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह सुस्पष्ट आख्यापित किया गया है कि पेश शुदा रेकार्ड अनुसार भूमियां कालू खां की थी तथा उनकी मृत्यु के बाद तीनों पुत्रों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है। हालांकि विक्रय नामान्तरकरण से पूर्व ही कर दिया गया था, परन्तु इससे प्रभावी रूप से कोई अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि पुत्रों का जो हक बनता है, उसी अनुसार पुत्र (वादी/अपीलान्ट) के पिता द्वारा भूमियों का विक्रय किया गया है, जिसमें अब वादी/अपीलान्ट द्वारा यह उजर उठाना कि उनके पिता द्वारा संयुक्त भूमियों का विक्रय विभाजन से पूर्व कर दिया गया है, वह त्रुटि पूर्ण है। देखने रेकार्ड से यह भी स्पष्ट होता है कि विक्रय पश्चात नामान्तरकरण क्रेता के पक्ष में खुल चुक है परन्तु तत्समय धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रचलित होने के कारण उक्त नामान्तरकरण का अमल दरामद नहीं किया गया। चूंकि अब धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन हो चुका है इसलिए उस फ्रेगमेन्ट का कोई प्रभाव नहीं है। तद्नुसार अब अपीलान्ट/वादी को यह आज्ञा दी जा सकती कि उसके पिता द्वारा अपने हिस्से व हद तक भूमियों के किये गये विक्रय को वह किसी भी प्रकार से प्रछन्न रूप से चुनौती दे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय व

साम्या को दृष्टिगत रखते हुए तनकी नंबर 1 का निर्णय किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

इसी प्रकार तनकी नंबर 2 के संबंध में अपीलान्ट द्वारा यह उजर उठाया गया कि वर्ष 1968 के विक्रय पत्र के आधार पर सन् 2001 में नामान्तरकरण खोला जाना अवैधानिक है तथा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण की बद्नियती को प्रकट करता है।

→ प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि घोषणात्मक वाद के लिए कोई मयाद नहीं होती तथा अपने हक तक वादी/अपीलान्ट के पिता द्वारा किये गये विक्रय को वादी/अपीलान्ट द्वारा जिन आधारों पर चुनौती दी गयी है वह विधिक रूप से पोषणीय नहीं है एवं यह सुस्पष्ट होता है कि वादी/अपीलान्ट के पिता द्वारा अपने हक अधिकार तक की भूमियों का ही विक्रय किया गया है, जिसे तद्समय इस आधार पर मान्यता नहीं दी गयी, क्योंकि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में था, इस कारण नामान्तरकरण नहीं हो पाया, परन्तु वर्तमान में उक्त नियमों में संशोधन होने से उक्त विक्रय को अवैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि उक्त विक्रय पत्र की विधिकता नहीं होने तथा क्रेतागण का कब्जा नहीं होने के कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार हम तनकी नंबर 2 के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विवेचन में किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अपीलान्ट द्वारा तनकी नंबर 3 के संबंध में उजर लिया गया है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि के विशिष्ट हिस्से का विक्रय किया जाना त्रुटि पूर्ण है।

→ प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है कि हालांकि संयुक्त खातेदारी की भूमि में विशिष्ट भूमि का विक्रय नहीं किया गया है, परन्तु इसके लिए किसी अन्य सहखातेदार को आपत्ति होनी चाहिए कि अपीलान्ट के पिता द्वारा किसी विशिष्ट भूमि का विक्रय किया गया है। किसी सहखातेदार द्वारा इस बाबत् कोई आपत्ति नहीं की गयी है, बल्कि विक्रेता के पुत्र द्वारा आपत्ति की गयी है, जो पोषणीय नहीं है।

तनकी नंबर 4, 5 व 6 के संबंध में जो प्रतिवादीगण के भार सिद्ध थी, उस पर अपीलान्ट/वादी द्वारा आपत्तियां व्यक्त की गयी हैं, परन्तु हम उक्त

तनकियों के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किये गये विवेचन के दृष्टिगण किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। तद्नुसार इन तनकियों के संबंध में अपीलान्ट द्वारा उठाये गये उजरातों को भी हम पोषणीय नहीं पाते हैं।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये वाद का प्रमुख आधार उनके पिता द्वारा किये गये विक्रय को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरकरण विलम्ब से खोला गया है तथा विशिष्ट आराजी का विक्रय भूमियां संयुक्त खातदारी में होने के बावजूद किया गया है तथा कब्जा भी क्रेतागण का नहीं है।

उपरोक्त प्रमुख तीनों आधारों पर हमारे द्वारा उपर किये गये विश्लेषण अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं पाते हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रत्येक तनकी पर आख्यापक एवं साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2008 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

शरीफ मोहम्मद पुत्र शेर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ताम्बेसरा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **डॉ. राजेन्द्र बाबू पिता कन्हैयालाल अग्रवाल, निवासी किरण हॉस्पिटल गोविन्द नगर अग्रवाल सोसायटी, दाहोद पंचमहल (गुजरात) व अन्य**

अपील नं.....**175 / 2008**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **कुशलगढ़** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**31**.....माह.....**03**.....**2008**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**....माह.....**03**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री यशपाल गुप्ता**....मिनजानिब अपीलान्ट व ..... **श्री भगवतपुरी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2008 यथावत रखी जाती है।** .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**28**.....माह.....**03**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।